E-MAIL/FAX/SPEEDPOST

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant **An IS 15700 certified Custom House**

Website: www.cochincustoms.nic.in **Control Room: 0484-2666422**
E-mail: commr@cochincustoms.nic.in **Fax: 0484-2668468**
Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र CIRCULAR. No. 52/2017

विषय : स्थाई व्यापार सुविधा समिति – दिनांक 26.10.2017 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the meeting held on 26.10.2017 Reg.

****

स्थाई व्यापार सुविधा समिति की 141वीं बैठक दिनांक 26.10.2017 को 16.45 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। श्री पुल्लेला नागेश्वर राव, प्रधान आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 141st meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 16.45 hrs on 26.10.2017 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Pullela Nageswara Rao, Principal Commissioner chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती
The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

1. S.Anilkumar, Addl. Commissioner
2. Amreeta Titus, Dy.Commissioner
3. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
4. Vikram Kaushik, Asst. Commissioner
5. M.S.Suresh, Asst.Commissioner
6. M.R.Hajong, Asst. Commissioner
7. V A Moideen Naina, Asst. Commissioner
8. Bhuvanachandran P., Scientist 'E', NIC
9. N Aravindan, Superintendent of Customs
10. A.L.Sajeeb Hussain, Superintendent of Customs
11. Vijayan Pillai, Superintendent of Customs
12. Baiju Daniel, Appraiser
13. V.Usha Superintendent of Customs

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि: सर्वश्री:
The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. K Suresh Babu, Cochin Port Trust
2. Dr. Jesto George, FSSAI
3. V T Jadhav, Textile Committee
4. Dr. Vrushi, Animal Quarantine
5. S S Sidhu, Plant Quarantine
6. Varghese Lino, DP World
7. Santhosh, CFS, Falcon
8. V. Veeraraghav, CFS GDKL
9. K Suresh Babu, CFS, CPT
10. S Ramakrishnan, Sea Food Exporters Association of India
11. Antony Kottaram, Kerala Chamber of Commerce & Industry
12. A.A.Fernandez,CCBA
13. Tino John Cruz, ICCI

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया। इसके बाद नए बिंदु उठाए गए।

The Chair welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration after which fresh points were taken up.

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई:
Action on minutes of Last Meeting:

बिंदु सं.2 - बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पी.क्यू. भुगतान स्वीकार नहीं करना
Point No.2- Non- Acceptance of PQ payments through Banking Channels.

सीसीबीए ने कहा कि पी.क्यू. भुगतान केवल क्रेडिट/डेबिट कार्डों के माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं और सीमाशुल्क से अनुरोध किया कि भुगतान के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा स्थापित करने के लिए इस मामले को पी.क्यू के साथ उठाएं।

CCBA had stated that PQ payments are being received only through credit/debit cards and requested Customs to take up the issue with PQ for setting up Internet Banking Facility for the payments.

पादप संगरोध के प्रतिनिधि श्री एस.एस. सिद्धू ने कहा कि यह मुद्दा मुख्यालय के साथ उठाया गया और उत्तर प्रतीक्षित है।

Shri S S Sidhu, representative of Plant Quarantine stated that the issue has been taken up with the Head Office and reply is awaited.

अध्यक्ष महोदय ने श्री सिद्धू से इस मामले को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया।

The Chair requested the Shri Sidhu to expedite the matter.

बिंदु सं. 4 : अग्रिम आगम पत्र दायर करने में हो रही दिक्कतें-
Point No.4- Issues in filing Advance Bill of Entry:

सीसीबीए ने कहा कि मैनिफेस्ट दायर करते समय फॉरवर्डर और नौवहन लाइनें बिल ऑफ लेडिंग के मामले में अलग-अलग शब्दावली का प्रयोग करते हैं। बिल ऑफ लेडिंग के साथ मेल न खाने पर मैनिफेस्ट संशोधन होता है और इससे निकासी में देरी होती है।

CCBA had stated that forwarders and Shipping Lines are following different nomenclature with respect to the Bill of Lading, while filing Manifests. The mismatch with Bill of Lading leads to Manifest Amendment and therefore delays in clearance.

सीसीबीए के प्रतिनिधि श्री फर्नांडस ने कहा कि उन्होंने सीएसएए ने चर्चा कर इस मामले को सुलझा लिया है।

Shri Fernandez, CCBA Represetative stated that they had discussed the issue with CSAA and resolved the issue.

अध्यक्ष महोदय ने ड्वेल टाइम कम करने में सहायक बनने वाले इस मुद्दे का समाधान करने के लिए सीसीबीए और सीएसएए के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

The Chair thanked the representatives of CCBA & CSAA for the resolution of the issue which would be a welcome step towards reducing dwell time.

चर्चा के लिए उठाए गए नए मुद्दे:
FRESH POINTS TAKEN UP FOR DISCUSSION:

बिंदु सं. 1: व्यापार सुविधा सं. 11/2017 पर स्पष्टीकरण :
Point No. 1 - Clarifications on Trade Facility No. 11/2017 :

आईसीसीआई के श्री टिनो ने व्यापार सुविधा 11/2017 पर स्पष्टीकरण का अनुरोध किया। उन्होंने यह स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया कि जिन निर्यातकों को पहले से (फैक्टरी स्टफिंग अनुमति) एफएसपी प्राप्त है, क्या वे (सेल्फ सीलिंग प्रक्रिया) एसएसपी के पात्र हैं।

Shri Tino, ICCI requested clarifications on the Trade Facility No. 11/2017. He requested to clarify as to whether exporters, who already have (Factory Stuffing Permission) FSP are automatically eligible for (Self-Sealing Procedure) SSP.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एफएसपी प्रणाली में निर्धारित दस्तावेज़ों के अतिरिक्त कुछ दस्तावेज़ एसएसपी के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि पहले एफएसपी प्राप्त निर्यातकों को एसएसपी के पात्र होने हेतु इन अतिरिक्त दस्तावेज़ों को जमा करना होगा।

The Chair stated that some documents in addition to those prescribed under the FSP regime are required for SSP. He stated that those documents should be supplied by Exporters already having FSP for eligibility of SSP.

बिंदु सं.2 : एसएसपी के तहत शिपमेंटों की पूर्व सूचना:

Point No. 2 - Prior Information on Shipments under SSP:

आईसीसीआई के श्री टिनो ने स्पष्टीकरण मांगा कि क्या एसएसपी के तहत हरेक शिपमेंट के लिए 15 पूर्व ही अनुमति लेनी आवश्यक है।

Shri Tino ICCI requested to clarity whether permission is required, 15 days in advance for every shipment under SSP.

अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि निर्यातकों को केवल पहली शिपमेंट के ही कम से कम 15 दिन पहले अधीक्षक (एसएसपी) को सूचित करना होगा। उसके बाद केवल सूचना देना काफी है।

The Chair clarified that exporters must inform the Superintendent (SSP) at least 15 days prior to planning first shipment only. Thereafter an intimation only is required.

बिंदु सं.3 : ई-वेंडर्स स्टेटमेंट्स :

Point No. 3 - E-Vendors Statements:

श्री टिनो, आईसीसीआई ने कहा कि ई-सील वेंडर ने सूचित किया है कि उसकी अनुमति लेने वाले सभी निर्यातक सीएफएस पर सामान की जांच से बचेंगे और आरएमएस सेलेक्शन के बिना ही निर्यात कंटेनरों को सीधे टर्मिनल में ले जाया जा सकेगा। श्री टिनो, आईसीसीआई ने यह भी कहा कि ई-सील वेंडर ने कहा है कि 3-4 हफ्तों में ही सील की आपूर्ति की जा सकेगी और यह भी अनुरोध किया कि वेंडरों की एकाधिकार प्रवृत्ति को दूर करने के लिए सभी ई-सील वेंडरों से कोचिन से ही ऑपरेट करने को कहा जाए।

Shri Tino, ICCI stated that e-seal Vendor informed all exporters who seek this permission can avoid examination of goods at CFS and export containers can be taken to terminal straightaway without RMS Selection. Shri Tino, ICCI further stated that the e-seal Vendor informed that seals would be supplied only in 3-4 weeks time and also requested that all e-seal vendors should be asked to operate at Cochin as well to avoid monopolistic practices by Vendors.

अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि आरएमएस द्वारा यादृच्छिक रूप से चुने जाने वाले कंटेनरों को जांच के लिए सीएफएस जाना होगा। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि कोचिन जैसे कुछ शहरों के लिए ई-सीलों के कार्यान्वयन की अवधि को बढ़ाए जाने की संभावना है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सदस्य इस संबंध में सीबीईसी के निर्णय का इंतज़ार करें। ई-सील वेंडरों के एकाधिकारिक प्रवृत्तियों के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने राय दी कि सभी वेंडरों का ब्यौरा पब्लिक डोमेन पर दिया गया है और निर्यातक किसी भी वेंडर को चुन सकते हैं।

The Chair clarified that Consignments picked up at random by RMS would have to go to CFS for examination. The Chair informed that there was a possibility

that date of implementation of e-sealing could be extended for some cities like Cochin. However, he asked the members to wait for a decision by CBEC. As regards, monopolistics practices by e-Seal Vendors, the Chair opined that the details of all vendors are available in public domain and the exporters are free to choose the vendor of their choice.

बिंदु सं.4 - अधिसूचना सं. 91/2017 के तहत मूल्यांकन :
Point No.4 - Valuation under Notification No. 91/2017 :

श्री ऐंटणी, केसीसीआई ने यह स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया कि क्या कोचिन सीमाशुल्क में 1% लैंडिंग लागत प्रचलित है और आईसीटीटी से सीएफएस तक के हैंडलिंग चार्ज व्यापार जगत के लिए झटका है।

Shri Antony, KCCI requested clarification on whether 1% landing cost is prevailing at Cochin Customs and that addition of handling charges from ICTT to CFSs are a blow to the trade.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अभी एक अस्थाई उपाय के रूप में आईसीटीटी से सीएफएस तक के हैंडलिंग चार्ज को अलग से शामिल नहीं किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में सीबीईसी को स्पष्टीकरण के लिए संदर्भ भेजा गया है और यदि स्पष्टीकरण के आधार पर शुल्क में कोई इजाफा होता है, तो अतिरिक्त शुल्क जमा करना पड़ेगा।

The Chair stated that as of now as a temporary measure handling charges from ICTT to CFS are not being included separately. However, he further added that a reference has been made to CBEC for a clarification and differential duty would have to be paid, if any based on the clarification.

बिंदु सं. 5 : एचएस कोड 9619 के अंतर्गत अडेल्ट डाइपरों की वर्गीकरण समस्याएं:
Point No. 5 - Classification issues for adult diapers under HS Code 9619 :

श्री फर्नान्डेस, सीसीबीए ने कहा कि अन्य पोर्टों में 12% आईजीएसटी वसूली जा रही है लेकिन कोचिन पोर्ट में यह 18% की दर पर वसूली जा रही है।

Shri Fernandez, CCBA stated that IGST being levied at other ports is 12% but at Cochin it is @18%.

अध्यक्ष महोदय ने राय व्यक्त की कि ये विशेष मामले हैं और इन पर उचित अधिकारियों द्वारा सकारण आदेश जारी किए गए हैं।

The Chair opined that these are specific issues and speaking orders would have been issued by the proper officers.

बिंदु सं. 6 - अधिसूचना 29/2017 के तहत पोर्सलेन टाइलों के लिए ए.डी.डी. छूट का आवेदन एवं स्वीकृति

Point No. 6 - Acceptance and application of ADD exemption for Porcelain Tiles under Notification 29/2017 :

श्री फर्नान्डेस, सीसीबीए ने कहा कि कुछ निर्माताओं/निर्यातकों के लिए ए.डी.डी. छूट उपलब्ध है लेकिन आगम पत्रों का मूल्यांकन या तो इसको रद्द करते हुए या ए.डी.डी. लगा कर किया जाता है अथवा इनका अनंतिम आकलन किया जाता है।

Shri Fernandez, CCBA stated that ADD Exemption is available for a few producers/Exporters, but BEs are being assessed by either rejecting the above and charging ADD or are being provisionally assessed.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह मामला सीबीईसी और डीजीएडी को संदर्भित किया गया है और जवाब प्रतीक्षित है तथा उस समय तक राजस्व की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों के अनुसार उचित कदम उठाए गए हैं।

The Chair stated that the matter has been referred to CBEC & DGAD and reply is awaited and till that time suitable steps as provided under law for safeguarding of Revenue would have to be taken.

चर्चा के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com के माध्यम से की जा सकती है।

Since no other points came up for discussion, the Chair concluded the meeting with thanks to the members. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee (PTFC) will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries, if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com

Sd/-

(पुल्लेला नागेश्वर राव Pullela Nageswara Rao)

प्रधान आयुक्त Principal Commissioner

S.No. S 65/11/2015 – CCU Cus. Pt II
Dated: 03.11.2017.

//अनुप्रमाणित Attested//

(विजयन पिल्लै Vijayan Pillai)

सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) Supdt. of Customs (CCU)

प्रस्तुत Submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.**
2. **The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building, Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.**

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to:

1. **Additional Commissioner/All D.Cs & A.Cs/ All members.**
2. **Hindi Section.**